न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

रिव्यू प्रा.पत्र संख्या– 09/18 सन् 2018

आरसीएमएस संख्या 2017/000238

बउनवानी :–1. हरपाल पुत्र श्री रामनिवास जाति गुर्जर निवासी देवली तहसील मलारना डूँगर
2. मोरपाल पुत्र श्री रामनिवास जाति गुर्जर निवासी देवली तहसील मलारना डूँगर
3. हरजी पुत्र श्री रामनिवास जाति गुर्जर निवासी देवली तहसील मलारना डूँगर
4. सुरज्ञान पुत्र श्री रामनिवास जाति गुर्जर निवासी देवली तहसील मलारना डूँगर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूँगर

(रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत आदेश जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर आदेश क्रमांक 7583–94 दिनांक 12.10.2012 अन्तर्गत धारा 229 राज.काश्तकारी अधि.सहपठित धारा 114 जा.दी.)

उपस्थित : 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील प्रार्थीगण
2. श्री महावीर जाट पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 31.7.2019

प्रार्थीगण की ओर से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक प.12(68)भूमि आरक्षण/राजस्व/12/7583–94 दिनांक 12.10.2012 के विरूद्व इस कथन के साथ पेश किया गया है कि उक्त आदेश प्रार्थीगण को सुने बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगण को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवायी हेतु तलब किया गया एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित आदेश से संबंधित राजस्व अनुभाग की मूल मिसल तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार राजस्व सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता रामनिवास की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 344 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम देवली किस्म चाही–3 तहसील मलारना डूँगर जो कि कोटा–दौसा मेघा हाईवे पर बनास नदी के पुल के पास स्थित है। उक्त भूमि हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है हमारे पिता रामनिवास की मृत्यु दिनांक 6.12.2017 को हो गयी थी तथा उक्त भूमि 2012 मे RS.D.C कोटा ने हमारे पिता की अनुमति से W.M.M. एवं डामर प्लांट लगाया था क्योकि तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय के पास तत्कालीन मंत्री श्री अशोक बैरवा द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में चोरू--बरवाडा रोड़ का निर्माण तत्काल कराने बाबत बार–बार फोन कर दबाव बनाया जा रहा था तथा रोड़ निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा आर.एस.डी. सी. कोटा को दिया गया था जिसके पास रोड निर्माण हेतु हेतु डब्ल्यू.एम.एम. एवं डॉमर प्लांट लगाने हेतु कोई भूमि नही थी इस कारण तत्कालीन अधिकारियों के कहने पर प्रार्थीगण के पिता ने उक्त भूमि आर. एस.आर.डी.सी. को रोड़ निर्माण हेतु कुछ दिनो के लिए सामग्री रखने हेतु कहॉ तथा उनके द्वारा इस बाबत आवश्यक अनुमति दिलवाने का आश्वासन दिया गया जिसकी पालना मे हमारे पिता द्वारा उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के समक्ष उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु आवेदन भी उसी दिन करवा दिया गया था। इसी दौरान तत्कालीन जिला कलेक्टर का स्थानान्तरण हो गया तथा उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा हमारे पिता के नाम धारा 177 का प्रकरण दर्ज कर दिया गया। संबंधित कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को काफी समझाने का प्रयास किया किन्तु वो नही माने एवं दिनांक 26.4.2012 के आदेश द्वारा उक्त भूमि मे से 0.08 है0 भूमि सिवाचयक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये। उक्त आदेश को राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय मे चुनौती दिये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2013 को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को रिमाण्ड की गयी किन्तु उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के उक्त निर्णय दिनांक 26.4.2012 को आधार बनाते हुए आदेश 12.10.2012 पारित कर हमारी खातेदारी भूमि में से कम करते हुए पहले सिवायचक तथा बाद में उसे चरागाह दर्ज कर दी गयी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त प्रकरण के सारे तथ्य दिनांक 11.1.2018 को हमारी जानकारी मे आने पर दिनांक 12.1.2018 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद रिव्यू प्रार्थना प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 12.10.2012 खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ0 एस.पी. सिंह
जिला कलेक्टर

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री रामनिवास द्वारा ख0न0 344 रकबा 0.61 है0 भूमि वाके ग्राम देवली मे से 0.08 है0 को बिना सक्षम स्वीकृति W.M.M. एवं डामर प्लांट के उपयोग लिये जाने पर संबंधित पटवारी द्वारा अप्रार्थी के पिता द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर बजरी का स्टॉक कर तथा शेष बची भूमि पर डामर प्लान्ट लगवाकर अकृषि कार्य के उपयोग में लिये जाने की रिपोर्ट पर तहसीलदार मलारना डूँगर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के पिता के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे पेश किये जाने पर उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा बाद सुनवायी उभयपक्ष प्रार्थी के पिता को धारा 177 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर ख0न0 344 रकबा 0.61 है भूमि मे से 0.08 है0 भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 26.4.2012 को पारित किया जाने पर तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज किया गया है। तत्पश्चात तहसीलदार मलारना डूँगर के प्रस्तावानुसार तहसील मलारना डूँगर के ग्राम देवली के ख0न0 560/344 रकबा 0.08 है0 चाही–3, ख0न0 561/319 रकबा 0.10 है0, ख0न0 490 रकबा 0.65 है0 बिलोली नदी के ख0न0 326 रकबा 1.27 है0, 345 रकबा 0.76 है0, एवं ग्राम जोलन्दा के ख0न0 297 रकबा 0.55 है0 भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 3.41 है0 सिवाचयक भूमि को जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक प.12(68)भूमि आरक्षण/राजस्व/12/7583–94 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत चरागाह हेतु आरक्षित की गयी है। जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह भी तर्क दिया कि उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु.न. 21/14 में पारित निर्णय दिनांक 13.5.2016 को राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.9.2017 से यथावत रखते हुए प्रार्थीगण की अपील खारिज की गयी है। अतः प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार राजस्व की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अप्रार्थीगण के पिता श्री रामनिवास द्वारा ख0न0 344 रकबा 0.61 है0 भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के बजरी का स्टॉक कर एवं शेष बची भूमि पर डामर प्लान्ट लगवाकर अकृषि कार्य के उपयोग में लिये जाने की रिपोर्ट पर तहसीलदार मलारना डूँगर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के पिता के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे पेश किये जाने पर उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा बाद सुनवायी उभयपक्ष प्रार्थी के पिता को धारा 177 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर ख0न0 344 रकबा 0.61 है भूमि मे से 0.08 है0 भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 26.4.2012 को पारित किया गये जिसकी पालना में तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज किया गया है। तत्पश्चात तहसीलदार मलारना डूँगर के प्रस्तावानुसार तहसील मलारना डूँगर के ग्राम देवली के ख0न0 560/344 रकबा 0.08 है0 चाही–3, ख0न0 561/319 रकबा 0.10 है0, ख0न0 490 रकबा 0.65 है0 बिलोली नदी के ख0न0 326 रकबा 1.27 है0, 345 रकबा 0.76 है0, एवं ग्राम जोलन्दा के ख0न0 297 रकबा 0.55 है0 भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 3.41 है0 सिवाचयक भूमि को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.12(68)भूमि आरक्षण/राजस्व/12/7583–94 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत चरागाह हेतु आरक्षित की गयी है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। इसके अतिरिक्त उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के मु.न. 21/14 में पारित निर्णय दिनांक 13.5.2016 के विरूद्व राजस्व मण्डल मे प्रकरण विचाराधीन है जिसमे उक्त भूमि के संबंध में निर्णय होना है। ऐसी स्थिति में रिक्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणो की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश क्रमांक प.12(68)भूमि आरक्षण/राजस्व/12/7583–94 दिनांक 12.10.2012 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:07:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: